बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सेवा निवृत्त हो चुके वनपालों का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सूचना

बिहार राज्य अन्तर्गत वनपालों की सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप क्षेत्रीय वन कार्यालयों के प्रबंधन में हो रही कठिनाइयों को तत्काल दूर करने हेतु कार्यहित में अल्पकालीन व्यवस्था के तहत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधानों के अतर्गत वनपाल (अनुसूची क्रमांक–29 में अंकित) के रिक्त पदो पर बिहार सरकार के सेवा निवृत्त हो चुके वनपालों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्न शर्त्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

पद एवं कोटिवार रिक्तियों की संख्या :–

कोटि : पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला (3% के अनुसार)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल रिक्ति
वनपाल	34 (महिला–12)	16 (महिला–05)	01	15 (महिला–06)	12 (महिला–04)	03	09 (महिला–03)	90

नोट :– (i) दिव्यांगजनों को अनुमान्य पद निम्नवत् होंगे :–

(क) दृष्टि दिव्यांगता – 1

(ख) मुक बधिर दिव्यांगता – 1

(ग) चलन दिव्यांगता – 1

(घ) मनोविकार दिव्यांगता – 1

कुल – 4 पद

(ii) स्वंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को अनुमान्य – 2 पद

२५५

शर्त्तें :–

1. यह नियोजन संविदा के आधार पर प्रारंभ में दो वर्षों के लिए किया जायेगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

2. संविदा अवधि की समाप्ति अथवा रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु अलग से कोई ओदश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्तियों को सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य वेतन/भत्ता या सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।

4. संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में पुनः नियमितिकरण का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। यह नियोजन सरकारी सेवा की किसी अवधि विस्तार के रूप में नहीं है।

5. संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवा निवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवा निवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत् रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित एवं समय–समय पर निर्गत सभी प्रावधान/शर्त्तें लागू होंगे।

7. नियोजन हेतु आवेदन समर्पित किये जाने का प्रारूप इस सूचना के परिशिष्ट 'क' में संलग्न है, जिसे आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

8. आवेदन के साथ आवेदक को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध :–

   (i) कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है,

   (ii) कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है,

   (iii) कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है, एवं

   (iv) किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है अथवा न्यायालय में लंबित नहीं है और न हीं उन्हें किसी वाद में सजा हुई है।

10. आरक्षण कोटि का दावा करने वाले आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

11. दिव्यांगता एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती एवं नतीनी के संबंध में दावा करने वाले आवेदकों को सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

12. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं होगी तो उनकी संविदा किसी भी समय रद्द की जा सकेगी।

13. दिनांक 01.08.2020 को आवेदक की उम्र सीमा 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (जन्म तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।

14. आवेदन पत्र वांछित कागजातों के साथ विहित प्रपत्र में 'मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार कार्यालय–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग (राईडिंग रोड) शेखपुरा, पो०–भेटनरी कॉलेज, पटना, जिला–पटना, पिन कोड–800014 के यहाँ निबंधित डाक द्वारा दिनांक–31.01.2020 के अपराह्न तक स्वीकार किये जायेंगे। उक्त निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. आवेदन पत्र के लिफाफे के उपर बड़े–बड़े अक्षरों में "वनपाल" के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र" लिखा होना चाहिए।

16. आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से सही–सही भरा जायेगा। एक भी कंडिका खाली नहीं छोड़े। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. आवेदन–पत्र विभागीय बेबसाईट www.forest.bih.nic.in से डाउन लोड किया जा सकता है या निर्धारित मानक आवेदन–पत्र कम्प्यूटर से टंकित कराकर प्रयोग किया जा सकता है।

ह० 13/1/2020

प्रधान सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
बिहार, पटना।

Desktpo\CCF(HRD)181219